भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1881

जिसका उत्तर गुरुवार, 17 मार्च, 2022 को दिया जाना है

अधीनस्थ न्यायालयों का अवसंरचना विकास

1881. श्री मुजीबुल्ला खानः

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधीनस्थ न्यायपालिका के अवसंरचना विकास हेतु ओडिशा में केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत 6 न्यायिक भवन परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू किया गया है और इन 6 में से 2 अदालत भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उपर्युक्त परियोजना का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित 1,174/- लाख रूपए की शेष राशि कब तक जारी कर दी जाएगी ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : जहां तक ओडिशा राज्य में न्यायिक अवसंरचना की स्थिति का संबंध है, वर्तमान में न्याय विकास वेब पोर्टल पर राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार 53 न्यायालय कक्ष और 56 आवासीय इकाइयां निर्माणाधीन हैं।

न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास की प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारों के साधनों को बढ़ाने के लिए, संघ सरकार विहित निधि साझा पैटर्न में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करके जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम को क्रियान्यवित किया है। यह स्कीम 1993-94 से क्रियान्वित की जा रही है। अब तक केंद्रीय सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्कीम के अधीन 8758.70 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं जिसमें से 2014-15 से अब तक 5314.39 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं जो इस स्कीम के अधीन कुल जारी किए जाने का लगभग

60.68% फीसदी है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान स्कीम के लिए 770.44 करोड़ रुपए की रकम आवंटित की गई है, जिसमें से अब तक 433.45 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। सरकार ने कुल 9000 करोड़ रुपए बजटीय परिव्यय के साथ 01.04.2021 से 31.03.2026 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए इस सीएसएस को जारी रखने की मंजूरी दी है, जिसमें 5307 करोड़ रुपए का केंद्रीय हिस्सा सम्मिलित है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायालय हॉल और आवासीय इकाइयों के अतिरिक्त शौचालयों, डिजिटल कंप्यूटर कक्षों और वकीलों के हॉल के निर्माण को भी कवर करने के लिए स्कीम के घटकों का विस्तार किया गया है।

इस योजना के अधीन, ओडिशा राज्य को अब तक 148.43 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। चालू वित्तीय वर्ष में, ओडिशा राज्य के लिए 27.93 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और इसे राज्य सरकार के पास पड़े केंद्रीय और राज्य के हिस्से के अव्ययित शेष, पुनरीक्षित सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली दिशानिर्देशों के अनुपालन तथा शुरू की जाने वाली परियोजनाओं के लिए पूर्ण कार्य योजना के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन जारी किया जाएगा ।

****